एक नजर में

सेवानिवृत्त होने पर प्रकरण स्वीकृत

नवभारत न्यूज टीकमगढ़। कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय ने 31 जुलाई को 39 वर्ष की शासकीय सेवा पूर्ण कर सेवानिवृत हुए प्रकाश रजक को विदाई समारोह में ही जीपीएफ अर्जित अवकाश एवं पेंशन प्रकरण स्वीकृत कर उक्त सभी आदेशों की प्रति प्रदान की।

ज्ञातव्य है कि कलेक्टर विवेक श्रोत्रिये के निर्देशानुसार जिले में शासकीय सेवकों के सेवानिवृत्त होने पर उन्हें तत्काल जीपीएफ अर्जित अवकाश एवं पेंशन प्रकरण स्वीकृत कर सभी आदेशों की प्रदान की जा रही हैं ।इसी इसीक्रम में वित्त शाखा टीकमगढ़ में पदस्थ प्रकाश रजक के सेवानिवृत्ति पर ही जीपीएफ अर्जित अवकाश एवं पेंशन प्रकरण स्वीकृत कर सभी आदेशों की प्रति प्रदान की गई। कलेक्टर ने31 जुलाई को शासकीय सेवा पूर्ण कर सेवानिवृत हुए प्रकाश रजक को विदाई समारोह में ही जीपीएफ अर्जित अवकाश एवं पेंशन प्रकरण स्वीकृत की। कलेक्टर ने शासकीय सेवा पूर्ण कर सेवानिवृत हुए प्रकाश रजक को विदाई समारोह में ही जीपीएफ अर्जित अवकाश एवं पेंशन प्रकरण स्वीकृत किया गया।

बिना अनुमति के बना डाला आलीशान गिरी पैलेस

विधानसभा में विधायक यादवेन्द्र सिंह ने उठाया सवाल

मंत्री का जबाव होटल नहीं बल्कि भवन निर्माण की है स्वीकृति

नवभारत न्यूज टीकमगढ़। शहर के झांसी मार्ग पर स्थित आलीशान गिरी पैलेस के निर्माण का मामला विधानसभा में गूंजा। यह मामला टीकमगढ़ विधायक यादवेन्द्र सिंह ने उठाया है। सवाल उठने के बाद नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जबाव दिया है कि इस होटल के लिए अनुज्ञा जारी नहीं हुई है, बल्कि भवन निर्माण की अनुमति नगर पालिका ने दी है। इस मामले में अन्य तथ्य पर मंत्री ने जांच उपरांत त्रुटि पाए जाने पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही के लिए कहा है।

दरअसल विधायक यादवेन्द्र सिंह बुन्देला ने विधानसभा में नगरीय प्रशासन मंत्री से सवाल किया है कि क्या भूमि विकास निगम 2012 के नियम 50 के प्रावधान अनुसार जल स्त्रोत के लगभग 50 फिट की दूरी तक कोई निर्माण कार्य नहीं हो सकेगा। यदि हां तो क्या गिरी पैलेस होटल टीकमगढ़ को इस नियम में छूट दी गई है यदि हां तो कब किस अधिकारी द्वारा आदेश बताएं। टीकमगढ़ तहसील का टीकमगढ़ किला मौजा का खाता क्र. 2168 सर्वेक्षण संख्या 142/45 कृषि भूमि निर्धारित है। क्या होटल के चारों ओर 2 मीटर की परिधि एवं होटल के सामने पार्किंग हेतु समुचित स्थान होना चाहिए और भूमि के रकबे का 33 प्रतिशत भूमि खुली होनी चाहिए। यदि हां तो क्या इसका पालन किया गया है। यदि नहीं तो क्यों. क्या होटल गिरी पैलेस के निर्माण में मध्यप्रदेश भूमि विकास अधिनियम 2012 के नियम 38 लगायत 46 का उल्लंघन कर शासन को करोड़ों रुपए की क्षति पहुंचाई गई है। इसके लिए कौन-कौन उत्तरदायी है। क्या अवैध निर्माण, अवैध निर्माण कर्ता तथा उत्तरदायी कर्मचारी अधिकारियों पर कोई कार्यवाही होगी। यदि नहीं तो क्यों?

इन सवालों पर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जबाव दिया है कि मप्र भूमि विकास नियम 2012 के नियम 50 (ख) में प्रावधान है कि यदि स्थल जल निकाय/जल स्त्रोत के उच्चतम जल स्तर से 9.00 मीटर और नदी के मामले में 15.00 मीटर की दूरी के भीतर हो, भूमि के किसी हिस्से का उपयोग भवन निर्माण के रूप में नहीं किया जाएगा। जी नहीं इस नियम से छूट नहीं दी गई है, अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। टीकमगढ़ तहसील का टीकमगढ़ किला मौजा खसरा क्र. 2168 सर्वेक्षण संख्या 142/45 का टीकमगढ़ विकास योजना 2031 में भूमि उपयोग/वर्तमान मार्ग, वर्तमान वाणिज्यिक, वर्तमान आवासीय दर्शित है। टीकमगढ़ विकास योजना 2035/मप्र भूमि विकास नियम 2012 में होटल भवन हेतु सीमांत खुला क्षेत्र, पार्किंग एवं खुले क्षेत्र के प्रावधान विहित है। नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय टीकमगढ़ मप्र द्वारा प्रश्नाधीन होटल हेतु अनुज्ञा जारी नहीं की गई है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद टीकमगढ़ द्वारा भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। मप्र भूमि विकास नियम 2012 के नियम 38 से 46 में शुल्क का प्रावधान नहीं है। यादवेन्द्र सिंह द्वारा लगाई गई इस विधानसभा के बाद से हड़कंप की स्थिति है। अब देखना यह होगा कि इस मामले में प्रशासन आगे क्या करता है।

त्रुटि पाए जाने पर संबंधितों पर गिरेगी गाज

मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद टीकमगढ़ द्वारा भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका टीकमगढ़ द्वारा नगर एवं ग्राम निवेश कार्यालय की विकास अनुज्ञा के बिना भवन निर्माण की अनुमति प्रदान की गई है। नगर पालिका परिषद द्वारा जारी भवन निर्माण अनुमति की वैधानिकता की जांच कराने के उपरांत त्रुटि पाई जाने पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।

स्पेलर में हाथ फंस जाने से युवक घायल

नवभारत न्यूज टीकमगढ़। युवक का हाथ मूंगफली तेल निकालते समय स्पेलर में फंस कर कट गया। युवक का हाथ कटा हुआ हाथ स्पेलर में फंसा रहा। इसके बाद उसे अस्पताल भेजा गया है। घटना गुरुवार शाम दिगौड़ा थाना क्षेत्र में ग्राम बम्होरी बराना की है। जिसमें स्पेलर में हाथ फस जाने से युवक को चोटआई है।

जानकारी के अनुसार गांव के ही हनुमान मंदिर के पास स्थित आटा चक्की पर 18 साल का लक्षमन केवट मूंगफली का तेल निकलवाने गया था। शाम करीब 4 बजे तेल निकालते समय उसका हाथ स्पेलर में फंस गया। युवक के हाथ में पहना स्टील का कड़ा स्पेलर में फंस गया। इससे उसका हाथ कलाई तक कटकर शरीर से अलग हो गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और परिजन मौके पर पहुंचे। गंभीर हालत में युवक को इलाज के लिए झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया।

दिगौड़ा पुलिस को सूचना मिलने पर थाना प्रभारी संदीप सोनी और बीट प्रभारी विजय घोष मौके पर पहुंचे। उन्होंने कटे हुए हाथ को निकाला और तुरंत आईस बॉक्स का इंतजाम किया। हाथ को आईस बॉक्स में रखकर युवक के पास झांसी भेजा गया। इस हादसे से बम्होरी और आसपास के गांवों में सनसनी फैल गई।

एडीआर भवन में विधिक जागरुकता कार्यक्रम संपन्न

नवभारत न्यूज टीकमगढ़। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टीकमगढ़, श्रीमती प्रवीणा व्यास के मुख्य आतिथ्य में एडीआर भवन जिला न्यायालय परिसर, टीकमगढ़ में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में श्रीमती प्रवीणा व्यास प्रधान जिला न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने अपने संबोधन में कहा कि बच्चों का दुर्व्यापार एक अपराध है, अपराधी को बीएनएस की धारा के तहत कारावास और जुर्माना हो सकता है। नाबालिग का दुर्व्यापार करने वाले के लिए भी आजीवन कारावास और जुर्माना संबंधी कानून बनाए गए हैं साथ ही उन्होंने बाल विवाह, बालश्रम, बाल तस्करी, बाल यौन हिंसा के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही नवीन आपराधिक विधि के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर अध्यक्ष जिला अधिवक्ता संघ अनिल त्रिपाठी, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती सुनीता गोयल, न्यायिक मजिस्टेट मुदित लटौरिया उपस्थित रहे।

विश्व कल्याण के लिए की सामूहिक प्रार्थना

नवभारत न्यूज टीकमगढ़। शासकीय सीनियर बेसिक हाई स्कूल के सभागार में प्रकृति सेवा संस्थान समिति द्वारा पर्यावरण संरक्षण और व्यसन मुक्त समाज विषय पर सेमिनार आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विश्व कल्याण के लिए सामूहिक प्रार्थना भी की गई।

इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य बीके नायक ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण आवश्यक है। उन्होंने सभी से अधिक से अधिक पेड़ लगाकर पर्यावरण सुरक्षा में योगदान देने का आह्वान किया। प्रकृति सेवा संस्थान के अध्यक्ष महेन्द्र द्विवेदी ने बताया कि 31 दिसंबर तक पर्यावरण संरक्षण को लेकर जन जागृति महा अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रों,युवाओं और किसानों को जागरूक किया जा रहा है।महा अभियान के अंतर्गत स्कूलों में जाकर विद्यार्थियों और शिक्षकों को पर्यावरण संरक्षण और दुर्व्यसन से दूर रहने का संकल्प दिलाया जा रहा है। अभियान के प्रमुख बिंदुओं में गौ संरक्षण, वृक्षारोपण, जल संरक्षण, जैविक खेती और योग के प्रति जागरूकता शामिल है। कार्यक्रम में युवाओं में बढ़ती नशे की लत को दूर करने और ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण पर भी चर्चा की गई। इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य बीके नायक,जगदीश द्विवेदी, संजय दुबे,दीनदयाल अहिरवार उपस्थित थे।

वकपुरा सचिव पर लगाए रिश्वत लेने के आरोप

नवभारत न्यूज टीकमगढ़। जनपद क्षेत्र की ग्राम पंचायत वकपुरा में पदस्थ सचिव मुकेश मिश्रा पर शासकीय कार्य के ऐवज में रिश्वत लेने के आरोप ग्राम पंचायत के एक व्यक्ति द्वारा लगाए गए है। जिसकी शिकायतकर्ता ने कलेक्टर को आवेदन देकर की है। ग्रामीणों ने सचिव पर कार्यवाही की मांग की है।

शिकायतकर्ता बलबान सिंह सोलंकी वकपुरा ने शिकायती आवेदन में बताया कि बह अत्यन्त गरीब परिवार से आता है। ग्राम पंचायत वकपुरा सचिव मुकेश मिश्रा द्वारा फरवरी माह में 5000 रूपये आवेदक से लिये थे जिसमें पिता का मृत्यु प्रमाणपत्र एवं पुत्र की खाद्यान पर्ची बनाई जानी थी। पंचायत सचिव मुकेश मिश्रा द्वारा आवेदक के पुत्र की खाद्यान पर्ची नही बनायी गयी और उसके पैसे भी बापस नही किये जा रहे है। आवेदक द्वारा बार बार मांगने पर सचिव द्वारा धमकी दी जाती है। सचिव द्वारा आवेदक को परेशान कर उसका नाम समग्र आईडी से काटने की बात कही जा रही है। पंचायत सचिव मुकेश मिश्रा को पैसे देते समय का बीड़ियो भी आवेदक द्वारा बनाया गया है। जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने कलेक्टर को आवेदन देकर की है। आवेदक ने सचिव पर कार्यवाही की मांग की है।

14 अगस्त तक होंगे प्रवेश के लिए आवेदन

नवभारत न्यूज टीकमगढ़। शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय टीकमगढ़ में संस्था स्तर की काउंसलिंग सीएलसी के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए 3 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश की प्रक्रिया जारी हैं। संस्था में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में ईब्डल्यूएस कोटा को छोड़कर सभी सीट्स भर चुकी है एवं कंप्यूटर साइंस और मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में भी सीमित सीट्स बची हैं।

प्रवेश प्रक्रिया 2 जुलाई से 14 अगस्त तक जारी है। प्राचार्य डॉ आरपी शांडिल्य ने सभी पात्र अभ्यर्थियों से अपील की है कि वह निर्धारित तिथियों में पंजीयन कर आवश्यक दस्तावेजों सहित संस्था में उपस्थित होकर प्रवेश सुनिश्चित करें। शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय में काउंसलिंग होगी।

सभी जर्जर स्कूलों की होगी मरम्मत : कलेक्टर

नवभारत न्यूज टीकमगढ़। कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय ने जिले के सभी 51 जर्जर सरकारी स्कूलों की मरम्मत के निर्देश दिए हैं। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जर्जर स्कूल भवनों के संबंध में बैठक आयोजित की गई।

कलेक्टर श्रोत्रिय ने बताया कि जिले में परीक्षण के बाद 51 शासकीय विद्यालयों को जर्जर और क्षतिग्रस्त घोषित किया गया है। इनकी मरम्मत और जीर्णोद्धार के लिए शासन से 1.13 करोड़ रुपए की राशि की प्रशासकीय स्वीकृति मिल चुकी है। मरम्मत का कार्य शाला विकास समिति द्वारा किया जाएगा ।बैठक में कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जर्जर स्कूली भवनों में छत मरम्मत वाले कार्यों को पहले प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि मरम्मत कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही या निम्न गुणवत्ता नहीं होनी चाहिए। निर्धारित मापदंडों के अनुरूप ही गुणवत्तापूर्ण कार्य कराए जाएं।

कलेक्टर ने यह भी निर्देश दिया कि निर्माण कार्य पालकों के साथ मिलकर सहयोगात्मक रूप से 15 दिवस में पूर्ण किया जाए। ऐसे स्कूल जिनका मरम्मत या जीर्णोद्धार के लिए चिह्नांकन रह गया हैए उनको भी निरीक्षण कर सूची में शामिल किया जाए ।उन्होंने कहा कि स्कूल संचालन में छात्र-छात्राओं की शिक्षा प्रभावित न होए इसका विशेष ध्यान रखा जाए। अतिसंवेदनशील भवनों को सबसे पहले सुधारा जाए और चयनित स्कूलों की जर्जर छतों की मरम्मत प्राथमिकता से की जाए ।बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी हनुमंत सिंह चौहान, डीपीसी आरपी त्रिपाठी, ईई आरईएस देवानंद शुक्ला, बीआरसी, इंजीनियर्स और संबंधित शासकीय विद्यालयों के प्राचार्य उपस्थित रहे।

सड़कों पर बैठे मवेशियों से हादसे का अंदेशा

पलेरा के जिम्मेदार अधिकारी नहीं दे रहे ध्यान

आए दिन हो रहे वाहन चालक दुर्घटनाओं का शिकार

नवभारत,न्यूज पलेरा। नगर के मुख्य मार्ग पर मवेशियों का जमावड़ा यातायात के लिए एक बड़ी समस्या बन गई है। यहां दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी नगर के विभिन्न चौराहों में सड़क पर मवेशियों का जमावड़ा रहता है, जिसके कारण यातायात काफी खतरनाक हो गया है। नगर की मुख्य सड़कों एवं आम रास्तों पर आवारा मवेशियों का जमावड़ा लगा रहने से वाहन चालकों सहित राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

पलेरा नगर में आवारा जानवरों के कारण कभी भी दुर्घटनाएं घट सकती हैं। नगर के वार्डों की तमाम सड़क पर मवेशियों के जमावड़ा के कारण लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो रही है, परंतु नगर परिषद द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। जिसके चलते मवेशियों का जमावड़ा हटने का नाम नहीं ले रहा है। जानकारी हो कि लोग अपने अपने घरों में पशु धन के रूप में मवेशियों का पालन करते आ रहे हैं। नगर एवं क्षेत्र में घरेलू मवेशियों की पशुधन के रूप में पूजा की जाती है और प्रतिवर्ष दीपावलीके मौके पर पशुधन की पूजा अर्चना के लिए गोवर्धन पूजा उत्सव का आयोजन होते आ रहे हैं। पहले हर मौजा में चरागाह हुआ करता था जहां मवेशी बरसात के दिनों में विचरण करते थे। अन्य दिनों में भी यहां मवेशियों का जमावड़ा रहता था। कालांतर में लोग अपने घरों में मवेशियों के पालने को झमेला समझने लगे और धीरे-धीरे गांव में मवेशियों की संख्या घटने लगी। किसान जहां पहले बैल एवं भैंसा से हल जोतते थे तथा कृषि कार्य में भी इनका उपयोग किया जाता था। परंतु अब इस ट्रैक्टर के युग में बड़े-बड़े किसान भी बैल या भैंसा रखना छोड़ ट्रैक्टर से खेती करने लगे हैं। ऐसे में आवारा गोवंश सड़कों पर भटकते फिर रहे हैं। नगर के मुख्य मार्ग पर मवेशियों का जमावड़ा यातायात के लिए एक बड़ी समस्या बन गई है। यहां दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी नगर के विभिन्न चौराहों में सड़क पर मवेशियों का जमावड़ा रहता है, जिसके कारण यातायात काफी खतरनाक हो गया है।

बारिश ▶ बान सुजारा बांध के गेट किए बंद

बारिश ने तोड़ा कई वर्षों का रिकार्ड, किसान बेहाल

नवभारत न्यूज टीकमगढ़। पिछले तीन दिनों से जिले में कम मात्रा में बारिश हो रही है। बीते 24 घंटों में केवल जतारा तहसील में 29 मिमी 1 इंच से अधिक बारिश दर्ज की गई। अन्य तहसीलों में बारिश नहीं हुई। जिसके चलते बान सुजारा बांध के गेट बंद कर दिए गए है। इस बार बारिश ने तीन वर्ष का रिकार्ड तोड़ दिया है।

जिले में अब तक 43.3 इंच औसत बारिश हो चुकी है। पिछले वर्ष इसी समय तक 18.6 इंच औसत बारिश दर्ज की गई थी। इस प्रकार इस वर्ष 24.7 इंच अधिक बारिश हुई है। अभी सावन के 10 दिन और भादो का पूरा महीना शेष हैए जिससे औसत बारिश 50 इंच से अधिक होने की संभावना है। कम बारिश के कारण बान सुजारा बांध के सभी गेट बंद कर दिए गए हैं ।बांध परियोजना के एसडीओ आरएस शेजवार ने बताया कि वर्तमान में पानी का लेवल 313.30 मीटर है जबकि पूरा लेवल 316.50 मीटर है। बांध में वर्तमान भराव 53.436 प्रतिशत है। वर्तमान भराव क्षमता 147.504 मिलियन घन मीटर हैए जबकि पूर्ण भराव क्षमता 276.04 मिलियन घन मीटर है। पिछले वर्ष इसी समय पानी का लेवल 314.40 मीटर था और भराव क्षमता 185.94 मिलियन घन मीटर थी। नदी से पानी की आवक लगभग 150 घन मीटर प्रति सेकेंड है। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार और शनिवार को जिले के कुछ हिस्सों में सामान्य बारिश का अनुमान रहा है। टीकमगढ़ तहसील में 52.5 इंच बड़ागांव धसान तहसील में 29 इंच, बल्देवगढ़ तहसील में 41 इंच, खरगापुर तहसील में 42 इंच, जतारा तहसील में 37.5 इंच, मोहनगढ़ तहसील में 50 इंच, लिधौरा तहसील में 37.5 इंच और पलेरा तहसील में सबसे अधिक 61.5 इंच बारिश दर्ज की गई है। पिछले तीन दिनों से जिले में कम मात्रा में बारिश हो रही है। बीते 24 घंटों में केवल जतारा तहसील में 29 मिमी 1 इंच से अधिक बारिश दर्ज की गई। अन्य तहसीलों में बारिश नहीं हुई। जिसके चलते बान सुजारा बांध के गेट बंद कर दिए गए है। भारी बारिश के कारण धसान नदी का जलस्तर बीते दिनों बढ़ गया था। जिसके चलते अधिक मात्रा में पानी आने से बान सुजारा बांध लबालब भर गया है।

जामनी नदी का बढ़ा जल स्तर

बारिश से जामनी नदी का जल स्तर बढ़ गया है। नदी में पानी आने से बरीघाट डेम लबालब हो गया है। डेम से तीन फीट ऊपर पानी जाने से झरना की तरह बह रहा है ।अधिकारियों ने लोगों से बारिश के मौसम में डेम पर ना जाने की सलाह दी है। बरीघाट डेम के रास्ते तक जल भराव हो गया था। जामनी नदी से पानी बहाव होने से बरीघाट के त्रिगटा तक पानी भर गया है।

शॉल श्रीफल देकर दी विदाई

नवभारत न्यूज खरगापुर। शुक्रवार को थाना प्रभारी खरगापुर गोकुल प्रसाद प्रजापति की 62 वर्ष पुलिस विभाग में पूर्ण होने पर सेवानिवृत्ति समारोह का कार्यक्रम थाना परिसर में आयोजित किया गया।

थाना प्रभारी खरगापुर गोकुल प्रसाद पुलिस विभाग में सेवा करते हुए 62 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण हो चुका है। कार्यक्रम में मौजूद समस्त थाना स्टाफ फूल माला एवं शॉल नारियल देकर विदाई समारोह संपन्न किया गया । कार्यक्रम में खरगापुर तहसीलदार सत्य प्रकाश शुक्ला, मंडल अध्यक्ष अमित जैन, देरी मंडल अध्यक्ष बाबूलाल यादव, वरिष्ठ पत्रकार देवकीनंदन अग्रवाल, नरेंद्र जोशी, रामेश्वर यादव, सुरेंद्र राजपूत, कांची कोरी, डॉ महेंद्र सिंह, रामनाथ सेन, प्रदीप साहू सहित नगर के गणमान्य नागरिकों सहित लोग शामिल रहे।

खेत में करंट लगने से किसान की मौत

नवभारत न्यूज पलेरा। जनपद पंचायत क्षेत्र अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बम्हौरीकलां में एक किसान की खेत पर काम करते वक्त करंट लगने से मौत हो गई। यह हादसा शुक्रवार शाम उस समय हुआ जब खेत में मौजूद बिजली के तार की चपेट में आने से किसान गंभीर रूप से झुलस गया।

परिजन और ग्रामीण उसे अस्पताल लेकर भागे लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मृतक की पहचान 26 वर्षीय रामकिशन कुशवाहा पुत्र पप्पू कुशवाहा के रूप में हुई है, जो गांव में ही खेती का कार्य करता था। घटना के वक्त वह खेत में सामान्य कृषि कार्य कर रहा था, तभी वहां खुले बिजली के तार के संपर्क में आ गया। करंट लगते ही वह जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना परिजनों को दी, गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।